

P. C - 140

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 140 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 140 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2013 को प्रातः 10:00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल के मण्डल कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री परसराम मोरदिया
अध्यक्ष,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर अध्यक्ष
2. डॉ. आर.0. वैकुण्ठेश्वरन
आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर सदस्य
3. श्रीमती इन्द्रा चौधरी
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर।
(प्रतिनिधि मुख्य नगर नियोजक)
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
4. श्री के.सी. मीना
मुख्य अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। सदस्य
5. श्री आर.के. भट्ट
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। सदस्य
6. श्री डी. के. माथुर
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। सदस्य
7. श्री जी.एस. बाघेला
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-जोधपुर
राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर। सदस्य

8. श्री आर. के. अग्रवाल
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता व अध्यक्ष
आवास विकास संस्थान, अवसायन समिति
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। सदस्य
9. श्री जय वीर जाखड़,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। सदस्य-सचिव
10. श्रीमति ऋतु गुप्ता,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। —
11. श्री एम. एम. माथुर
उप आवासन आयुक्त
वृत्त-उदयपुर
राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर। —
12. श्री के. के. माथुर
उप आवासन आयुक्त
वृत्त-द्वितीय, जोधपुर
राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर। —

समिति के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा बैठक के एजेण्डा पर चर्चा कर निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 01

विषय :- परियोजना समिति की 138 वीं बैठक दिनांक 18.03.2013 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

निर्णय :-


परियोजना समिति की 138 वीं बैठक दिनांक 18.03.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 02

विषय :- परियोजना समिति की 138 वीं बैठक दिनांक 18.03.2013 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।

निर्णय :-

परियोजना समिति की 138 वीं बैठक दिनांक 18.03.2013 की कार्यवाही विवरण की क्रियादेति का अवलोकन किया गया।



एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 03

विषय :- परियोजना समिति की 139 वीं बैठक दिनांक 15.04.2013 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

निर्णय :-


परियोजना समिति की 139 वीं बैठक दिनांक 15.04.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 04

विषय :- परियोजना समिति की 139 वीं बैठक दिनांक 15.04.2013 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।

निर्णय :-

परियोजना समिति की 139 वीं बैठक दिनांक 15.04.2013 की कार्यवाही विवरण की क्रियांविति का अवलोकन किया गया।



एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 05


विषय :- श्री विभिषेक पाल सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह यूनिक मेशन प्रा0लि0 8वीं मंजिल, माईल स्टोन, गॉधी नगर मोड़, टोंक रोड़, जयपुर को प्रतिस्थापन द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 150/बी-1 से 150/बी-8 सेक्टर-15 EXT. मानसरोवर, जयपुर के हस्तान्तरित किये गये है। आठों विकसित आवासीय भूखण्डों को एकीकृत (पुनर्गठन) कर एक आवासीय भूखण्ड 1443.75 वर्ग मीटर के रूप में परिवर्तन करने बाबत।

श्री विभिषेक पाल सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह यूनिक मेशन प्रा0लि0 8वीं मंजिल, माईल स्टोन, गॉधी नगर मोड़, टोंक रोड़, जयपुर ने राजस्थान आवासन मण्डल के उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड 15 प्रतिशत खातेदार को पुश्तापन में आवंटित किये गये। आठों विकसित आवासीय भूखण्डों को एक आवासीय भूखण्ड के रूप में एकीकरण (पुनर्गठन) हेतु दिनांक 23.04.2013 को आवेदन किया गया था। इसके लिए इस कार्यालय द्वारा उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय को पत्र क्रमांक 765 दिनांक 19.02.2013 एवं पत्र क्रमांक 829 दिनांक 19.03.2013 को पत्र लिखकर वांछित दस्तावेज एवं भूखण्ड की वस्तुस्थिति चाही गई थी। जो कि उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय द्वारा दिनांक 23.04.2013 को उपलब्ध करवायी गई है। जिसमें आवासीय भूखण्ड संख्या 150/बी-1 से 150/बी-8 श्री विभिषेक पाल सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह के नाम प्रतिस्थापन किये गये है।

उपरोक्त भूखण्ड मूल खातेदार श्री गोकुल प्रसाद पुत्र श्री झूथा लाल, हिस्सा 1/3, जगते बैरवा, निवासी ग्राम देवली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर खसरा नं. 333 मानसरोवर योजना 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड के रूप में दिये गये है।

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.02.2013 एवं 19.03.2013 के सन्दर्भ में उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय द्वारा दिनांक 23.04.2013 के प्रस्तावानुसार श्री विभिषेक पाल सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह द्वारा आठों विकसित आवासीय भूखण्ड 150/बी-1 से 150/बी-8 को प्रतिस्थापन द्वारा इनके नाम किया गया है को एकीकरण (पुनर्गठित) हेतु प्रस्तावित किये जाने पर एक आवासीय भूखण्ड $162.00+162.00+162.00+162.00+162.00+162.00+202.50+269.25 = 1443.75$ वर्गमीटर होता है। नियमानुसार 1500 वर्ग मीटर से कम है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम-2010 संशोधित-2011 के अनुसार एकीकरण (पुनर्गठन) के पश्चात् एकल भूखण्ड के पैरामीटरर्स निम्नानुसार प्राप्त होंगे :-



कुल भूखण्ड का क्षेत्रफल = 1443.75 वर्ग मीटर

1. अधिकतम आच्छादित क्षेत्र - सैटबेक क्षेत्र के अन्दर

2. सैटबेक :-

(i) आगे = 9.00 M

(ii) पार्श्व-I = 4.50 M

(iii) पार्श्व-II = 4.50 M

(iv) पीछे = 4.50 M

3. अधिकतम ऊँचाई = विनियम 8.11 के अनुसार

4. मानक एफ.ए.आर. = 1.33

5 अधिकतम एफ.ए.आर. = 2.25

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित साइट प्लान का मानचित्र संलग्न है।

पुनर्गठन के फलस्वरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) 2010 के अनुसार शुल्क लिया जाना है। जो कि राशि ₹0 100.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है।

प्रकरण परियोजना समिति के समक्ष नियमानुसार एकीकरण (पुनर्गठन) बाबत अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :-

माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार भू-खण्डों के अमानीशाह नाले से दूरी सुनिश्चित की जाकर उपरोक्त भूखण्डों के एकीकरण का अनुमोदन किया गया।



एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 06

विषय :- चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर के मारवाड अपार्टमेन्ट के पास सडक की रिप्लानिंग के संबंध में।

उप आवासन आयुक्त द्वितीय जोधपुर ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें एच.टी. लाईन के दोनों तरफ सडक तथा 24.0 मीटर सडक के स्थान पर व वाणिज्यिक एवं पब्लिक यूटिलिटीज के कुछ भाग पर आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किया है।

इसके संबंध में आवासीय अभियन्ता विधुत की टिप्पणी अनुसार नियमों के अन्तर्गत राईट ऑफ वे के नीचे सडक बनाई जा सकती है।


उपरोक्त प्रस्तावानुसार रिप्लानिंग की गई है। 132 के.वी. विधुत लाइन के निच निम्नानुसार सुरक्षित ई.एच.वी. -13.8 मीटर चौड़ी पट्टी प्रस्तावित की गई है। एच.टी. लाईन के एक तरफ (मारवाड अपार्टमेन्ट) 6.0 मीटर पॉथ तथा दूसरी तरफ 12.0 मीटर चौड़ाई की सडक प्रस्तावित की गई है। 12.0 मीटर चौड़ाई की सडक के पश्चात् 10.5 X 20.0 मीटर के 23 भूखण्ड प्रस्तावित किये गये हैं।

अतः एच.टी. लाईन की सुरक्षित पट्टी के कुछ भाग पर सडक तथा सडक, वाणिज्यिक भूखण्ड व पब्लिक यूटिलिटीज के कुछ भाग पर आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

प्रकरण परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।



एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 07

विषय :- मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर आवासीय योजना के सेक्टर-8 में स्थित वाणिज्यक भूखण्डों पर प्लानिंग के संबंध में।

उप आवासन आयुक्त वृत्त-बीकानेर मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना के सेक्टर-8 में स्थित दो वाणिज्यक भूखण्डों पर प्लानिंग का प्रस्ताव किया है।

प्रस्तावानुसार वाणिज्यक भूखण्डों पार्ट-। एवं पार्ट-।। का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वाणिज्यक भूखण्ड पार्ट-। :

क्र. सं.	दुकानों की साईज	कुल
1	3.00X4.50 M	06
2	4.50X4.50 M	01
3	4.50X6.00 M	05
	TOTAL	12


वाणिज्यक भूखण्ड पार्ट-।।

क्र. सं.	दुकानों की साईज	कुल
1	3.00X4.50 M	11
	TOTAL	11

प्रकरण परियोजना समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।




एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 08

विषय :- अटलनगर निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ में व्यावसायिक भूमि की प्लानिंग में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अटल नगर निम्बाहेडा में व्यावसायिक भूमि ए पर परियोजना समिति की बैठक 134 वीं दिनांक 28.05.2012 को प्लानिंग अनुमोदित की गयी थी। जिसमें निम्नानुसार 85 दुकानों (भूखण्डों) की प्लानिंग की गई थी :-

S.NO.	TYPE	SIZE	NO.OF SHOP
1.	SHOPS	6.0 X 7.50 M	7
2.	SHOPS	4.50 X 6.0 M	5
3.	SHOPS	3.0 X 4.50 M	73
TOTAL 85			

आवासाय अभियन्ता खण्ड-चित्तौड़गढ़ द्वारा उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/मुख्य अभियन्ता के माध्यम से व्यावसायिक भूखण्डों की बिक्री सम्भव नजर नहीं आती की टिप्पणी के साथ अन्य स्थान पर व्यावसायिक भूमि भी होना बताया गया है। उक्त नियोजित भूखण्ड को आवासीय क्षेत्र में भूमि का उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए MIG-A एवं MIG-B (G+2)/(G+3) के प्लेट्स की प्लानिंग का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा व्यावसायिक भूखण्ड के निस्तारण हेतु की गई कार्यवाही एवं व्यावसायिक भूमि से आवासीय में परिवर्तन किये जाने पर वैैतीय प्रभार के बारे में जानकारी चाही गई परन्तु इसका कोई संतोषजनक जवाब उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया एवं टिप्पणी की कि निम्बाहेडा में इतने व्यावसायिक भूखण्डों की आवश्यकता नहीं है। 10/एन अफोर्डेबल प्लानिंग का प्रस्ताव उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया। जिसकी पुष्टी मुख्य अभियन्ता द्वारा पैरा 11 पर की गई थी। परन्तु स्पष्ट प्रस्ताव न होने से पैरा 15 द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव चाहा गया था। उप आवासन आयुक्त वृत्त उदयपुर द्वारा पैरा 17 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'X' पर व्यावसायिक रखा जावे जिसमें 5 दुकानें 4.50 X 6.0 मीटर एवं 8 दुकानें 3.0 X 4.50 मीटर रखते हुए शेष 2 पर MIG-A (G+2) एवं LIG (G+3) अफोर्डेबल स्कीम के तहत प्लानिंग की जावे अथवा MIG-A Duplex प्लान कर दिये जावे। परन्तु एन/26 पर पुनः उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर द्वारा MIG (G+2) प्लान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। व्यावसायिक एवं आरक्षित भूमि पर प्लानिंग की पत्रावली पर स्पष्ट रूप से अनुशंसा हेतु पुनः प्रकरण भिजवाया गया। उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय द्वारा एन/32 व 33 के अनुसार ही प्लानिंग के प्रस्ताव दिनांक 14.06.2013 को प्राप्त हुए।



एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 09

विषय :- अटलनगर निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ में आरक्षित भूमि पर प्लानिंग किये जाने बाबत।

अटलनगर निम्बाहेडा की मूल योजना 115वीं परियोजना समिति की बैठक दिनांक 03.10.2008 को बिन्दु संख्या 5 के द्वारा स्वीकृत हुई। तदपश्चात् ब्लॉक बी, सी, डी की आंशिक योजना परियोजना समिति की बैठक 124वीं दिनांक 14.07.2010 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा अनुमोदित हुई।

आवासीय अभियन्ता खण्ड चित्तौड़गढ़ द्वारा उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/मुख्य अभियन्ता के माध्यम से आरक्षित भूमि की योजना नियोजन हेतु प्रस्तुत की गई। परन्तु कोई स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर से स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पैरा 1/एन प्रकरण प्रेषित किया गया। उस पर उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर द्वारा पैरा 10 पर प्रस्तावित भूमि पर मध्यम आय वर्ग 'अ' (6.0X15.0 m.) के डुप्लेक्स आवासों की प्लानिंग प्रस्तावित की गई। एवं भूमि को निम्बाहेडा के ड्राफ्ट URBAN AREA 2031 पर अंकित कर संश्लेषित किया है। अर्बन एरिया 2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार परस्ताव आरक्षित भूमि का उपयोग आवासीय दर्शाया गया है।

प्रस्ताव एवं निर्देशानुसार निम्नानुसार योजना का नियोजन किया गया :-

कुल आरक्षित भूमि = 2.74 हेक्टेयर

LAND USE ANALYSIS :-

S.NO.	USE	AREA IN HECT.	PARCANTAGE
1	RESIDENTIAL	1.38	50.36
2	COMMERCIAL	0.07	2.55
3	FACILITY	0.11	4.02
4	PARK / OPEN	0.22	8.03
5	ROADS	0.96	35.04
	TOTAL	2.74	100.00

SCHEDULE OF PLOTS :-

S.NO.	TYPE	SIZE	NO.OF PLOTS
1	MIG-I (DUPLEX)	6.0x15.0 M.	76
2	MIG-II (DUPLEX)	8.0x15.0 M.	24
3	HIG	9.0x18.0 M.	22
	Total		122

SCHEDULE OF SHOPS :-

S.NO.	SHOPS	SIZE	NO.OF SHOPS
1	SHOPS	3.0X4.50	06
2	SHOPS	4.50X6.00	04
	TOTAL		10

प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :-

विचार विमर्श के दौरान अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि निम्बाहेडा के लैंड यूज प्लान में भी मू-उपयोग आवासीय देना निश्चित किया जावे। आवासीय अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये लैंड यूज प्लान-2031 के अनुसार भूमि आवासीय है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।

अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 01

विषय:- इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के सैक्टर-9 व 10 के मध्य सैक्टर डिवाइडिंग सड़क की चौड़ाई पुनः निर्धारण हेतु।

उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय से इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के सैक्टर 9 व 10 के मध्य सैक्टर डिवाइडिंग सड़क की चौड़ाई पुनः निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इन्दिरा गांधी नगर योजना का संशोधित मानचित्र प्ररियोजना समिति की 117वीं बैठक दिनांक 28.07.2009 में अनुमोदन किया गया था। उस मानचित्र में प्रस्तावित संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव में सड़क की चौड़ाई 18.0 मीटर रखी गई थी।


अब उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय से प्राप्त सर्वे के अनुसार सैक्टर-10 की साईड 8.0 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित की गयी भूमि को 48.0 मीटर चौड़ी सड़क की तरफ 9.79 मीटर तथा 24.0 मीटर चौड़ी सड़क की तरफ 8.70 मीटर ग्रीन बेल्ट रखते हुए सड़क की चौड़ाई 15.0 मीटर रखी जा सकेंगी।

इसी प्रकार इसी सड़क के नीचे 24.0 मीटर सड़क के दक्षिण में जयपुर विद्युत वितरण निगम को आवंटित भूमि के पूर बर्व दिशा में प्रस्तावित 12.0 मीटर चौड़ी सड़क पर विद्युत वितरण निगम द्वारा सड़क पर एच.टी. लाईन का पोल बना दिया गया है। इससे सड़क की चौड़ाई पोल के स्थान पर 7.65 मीटर रह गई है। इसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी है अथवा नहीं ? इस संबंध में निर्णय किया जाना है।

प्रस्तावित संशोधित मानचित्र प्ररियोजना समिति के अध्यक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त सड़क की चौड़ाई 10.5 मीटर रखे जाने का अनुमोदन किया गया।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 02

विषय:- दस्तकार नगर, नायला तहसिल जुम्मा रामगढ़ जयपुर का मानचित्र अनुमोदन हेतु हित।

मण्डल की 218वीं बैठक दिनांक 24.04.2013 को सम्पन्न हुई के बिन्दु संख्या 218, 105 के अनुसार मण्डल द्वारा 750 यूनिट (G+1) जिसमें भूतल पर वर्क शॉप एवं ऊपर प्रथम मंजिल पर आवास का प्रावधान रखते हुए निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भूखण्ड द्वारा उक्त योजना का ले-आऊट प्लान बना दिया गया है जिसमें 5.42 X 8.0 मीटर की साईज के 751 आवासों का नियोजन प्रस्तावित है।

ले-आऊट प्लान परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 03

विषय :- इन्दिरा गांधी नगर विस्तार योजना के नियोजित मानचित्र में आंशिक परिवर्तन करने के क्रम में।

उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ने परियोजना समिति की आयोजित 137वीं बैठक दिनांक 29.08.2012 बिन्दु संख्या 4 में अनुमोदित मानचित्र में आंशिक संशोधन हेतु प्रस्ताव किया है।

प्रस्तावानुसार मानचित्र के सैक्टर-4 में खातेदारों हेतु भूखण्ड आरक्षित करने के उपरान्त शेष भूमि पर बहुमंजिले आवासों हेतु लगभग 82900 वर्ग मीटर का भूखण्ड आरक्षित रखा गया है।

प्रकरण परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व में 137वीं परियोजना समिति की बैठक के अनुमोदित ले-आउट प्लान में कुछ संशोधन कर दो पार्कों के स्थान पर एक बड़ा पार्क व शेष भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग के लिये प्लॉट आरक्षित रखते हुए योजना का अनुमोदन

पूर्ववत् किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 04


विषय :- व्यावसायिक भूपट्टी (CS-II) वी.टी. रोड एवं अरावली मार्ग के बीच स्थित योजना का पुनः संशोधन मिश्रित भू-उपयोग प्लान अनुमोदन बाबत।

व्यावसायिक भूपट्टी (CS-II) वी.टी. रोड एवं अरावली मार्ग के बीच स्थित व्यावसायिक भूमि जो कि लगभग 4,32,831.00 वर्ग मीटर है। परियोजना समिति की बैठक 120 वीं में विचार बिन्दु संख्या स्पेशल 2 नं. से दिनांक 09.03.2010 को अनुमोदित की गई थी। (एनेक्सचर-1) जिसमें लगभग छोटे बड़े 104 भूखण्ड नियोजित किये गये थे। जिसमें से एक भूखण्ड पेट्रोल पम्प के लिए दिया जा चुका है तथा दो भूखण्ड 'ए' विपुल्स प्रिमाईसेज एवं जे-4 मारुति सुजूकी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को नीलामी द्वारा निस्तारित किये जा चुके हैं।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 28.03.2013 को मीटिंग नोटिस उप शासन सचिव प्रथम द्वारा स्थानीय निकाय विभाग के सभा कक्ष में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2013 को सायं 3.00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल की योजना मानसरोवर जयपुर के व्यावसायिक भू-पट्टी स. सी. एस- II वी.टी. रोड का भू-उपयोग व्यावसायिक से मिश्रित भू-उपयोग किये जाने के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के प्रस्ताव पर पावर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 09.04.2013 को राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा पावर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। पावर प्रेजेंटेशन के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधन कर दिनांक 10.04.2013 को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। प्रस्ताव के अनुसार संशोधन हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुसार मानचित्र पुनः संशोधन कर प्रस्तुत किये गये। शोधनों के पश्चात् आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक 350 दिनांक 24.06.2013 विस्तृत प्रस्ताव का मानचित्र भिजवाया गया।

संयुक्त शासन सचिव, प्रथम राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.7(79)नवि/3/2013 जयपुर दिनांक 18.07.2013 के द्वारा दिशा निर्देश देते हुए (एनेक्सचर-2) राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 350 दिनांक 24.06.2013 के साथ भेजे गये प्रस्ताव (एनेक्सचर-3) में आंशिक संशोधन कर निम्न आदेश प्रदान किये गये :-



मानसरोवर स्थित वी.टी. रोड पर प्रस्तावित मिश्रित प्रयोजनार्थ योजना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं :-

1. योजना में प्रस्तावित विक्रय योग्य भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर रखा जावे तथा आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत से अधिक अनुज्ञेय नहीं किया जावे।
2. भवनों की अधिकतम ऊँचाई 60 मीटर अनुज्ञेय हो।
3. प्रस्तावित भवनों के लिए एफ.ए.आर. की कोई सीमा नहीं हो परन्तु भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग के प्रावधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो एवं अधिकतम दो बेसमेन्ट पार्किंग हेतु अनुज्ञेय किये जावे।
4. मानचित्र में प्रस्तावित कन्वेंशन सेन्टर के पास ही मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित भूखण्ड 'जे' पर एकजीविशन हॉल रखा जाना अधिक उपयुक्त होगा।

उपरोक्त निर्देशानुसार प्रेषित प्रस्ताव में संशोधन कर योजना का विवरण निम्नानुसार तैयार किया गया है :-

व्यावसायिक भू-पट्टी का कुल क्षेत्रफल (I + II) = 400491.04 वर्ग मीटर (लगभग)

S.NO.	PLOT NO.	LAND USE	AREA IN Sqm.
1.	B	SHOPPING ARCADE	8136.76
2.	B-1	FLATS	11463.76
3.	B-2	FLATS	6853.67
4.	C	HOTEL	7068.02
5.	C-1	MALL	10244.98
6.	D	PARKING PLAZA	15236.05
7.	D-1	MARRIAGE HALL	5026.22
8.	E	SERVICES	2072.57
9.	F	FLATS	5362.42
10.	F-1	FLATS	8461.11
11.	G	CONVINIENT SHOPS	8141.33
12.	H	CONVENTION CENTRE	24284.58
13.	I	PARKING PLAZA	8506.15
14.	J	EXIBITION HALL	8215.36
15.	J-1	FLATS	6157.71
16.	J-2	SERVICES	4828.45
17.	J-3	OFFICE GLICK	5506.98
18.	J-5	FLATS	19619.47

[Handwritten Signature]

- (i) CIRCULATION OF 24.0 M WIDE ROAD
- (ii) FOUNTAIN & RECREATION PLAZA
- (iii) OPEN SIT OUT

प्रकरण परियोजना समिति की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु एजेण्डा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 05

विषय :- मण्डल की आवासीय योजना नैनवा (बुन्दी) में वाणिज्य भूखण्डों की प्लानिंग बाबत।

मण्डल की आवासीय योजना नैनवा (बुन्दी) में वाणिज्य भूखण्डों की प्लानिंग का प्रस्ताव आवासीय अभियन्ता खण्ड-कोटा द्वारा प्रेषित किया गया। नैनवा आवासीय योजना 117 परियोजना समिति दिनांक 20.07.2008 में अनुमोदित की गई थी।

प्रस्तावानुसार योजना वाणिज्य भूखण्ड A, B, C & D की प्लानिंग की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-


S.N.	Pocket	Size	No.
1.	A	3.0 X 6.0 m	8 (SHOPS)
2.	B	3.0 X 4.50 m	10 (SHOPS)
3.	C	15.75 X 20	2 (Commercial Plot)
		15.0 X 20	1 (Commercial Plot)
4.	D	15.0 X 20	7 (Commercial Plot)
		20.5 X 20	1 (Commercial Plot)

नैनवा योजना के पाकेट ए व बी में दुकानों की प्लानिंग की गई। एवं पाकेट सी व डी मेन रोड पर होने की वजह से छोटे वाणिज्य भूखण्डों की प्लानिंग की गई।

प्रकरण परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 06

विषय :- पानेरियों की मादडी सेक्टर-7 विस्तार की भूमि की प्लानिंग करने बाबत।

पानेरियों की मादडी सेक्टर-7 विस्तार की भूमि की योजना परियोजना समिति की बैठक 101 वीं दिनांक 19.10.2005 को अनुमोदित हुई थी एवं ग्रुप हाऊसिंग ब्लॉक ए, बी, सी की योजना परियोजना की समिति की बैठक 138वीं दिनांक 18.03.2013 को अनुमोदित हुई।

आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय द्वारा ब्लॉक-डी की प्लानिंग हेतु प्रस्ताव उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के माध्यम से प्रेषित किया गया।

प्रस्तावानुसार ब्लॉक-डी ग्रुप हाऊसिंग एवं आवासों का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर को योजना की मॉके पर क्रियान्विति हेतु ड्राफ्ट प्रेषित किया गया।

उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय द्वारा दिनांक 08.07.2013 को प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी प्रेषित की गई है। टिप्पणी के अनुसार मानचित्र तैयार कर दिये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

Land use analysis :-

S.No.	USE	AREA IN HECT.	PERCE.
1	Residential/ Group Housing	4.25 2.19 = 6.44	48.80
2	Commercial	0.61	4.43
3	Educational	0.50	3.83
4	Health centre	0.19	1.38
5	O.C.F.	0.18	1.30
6	Community centre	0.17	1.24
7	Wood Land	1.26	9.16
8	P.S.	0.12	0.87
9	Road	3.78	27.48
10	Public utility	0.51	3.71
	TOTAL	13.78	100.00



Schedule of plots

1	HIG	10.50 X 20.0 M	=	43
2	MIG-II	8.0 X 16.0 M	=	98
3	MIG-I	6.0 X 15.0 M	=	101
4	LIG	6.0 X 12 M	=	141
5	EWS	4.0 X 9.0 M	=	54
	TOTAL		=	437

योजना में पूर्व में की गई प्लानिंग Existing Scheme के पास होने से कोई संशोधन नहीं किया गया है। केवल सुविधा क्षेत्र H.C., O.C.F., COMMUNITY CENTRE में आंशिक संशोधन किया गया है। जिससे सुविधाओं को सड़क उपलब्ध हो सके। शेष स्कीम ब्लॉक-डी के समान ही है। ब्लॉक-डी में ग्रुप हाऊसिंग के भूखण्ड को नियोजित किया गया है जो निम्नानुसार है :-

PLOT AREA 21938.36 Sqm.


HIG FLATS (S+G+3) = 112

अन्य सुविधाएं मानचित्र में दर्शाए अनुसार उपलब्ध करवा दी गईं।

प्रकरण परियोजना समिति की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु एजेण्डा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 07

विषय :- मण्डल की महावीर नगर कम्पीटशन योजना कोटा में उपलब्ध 1488 वर्ग मीटर भूमि स्कूल कम कम्यूनिटी सेन्टर से शैक्षणिक भू-उपयोग परिवर्तन करने बाबत।

संदर्भ :- P.A.C. मिटिंग दिनांक 12.07.2013 के कार्यवाही विवरण बिन्दु '13' के क्रम में।

आदेश क्रमांक सप्र/पीएसी/2013/557 दिनांक 16.07.2013


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डल की 'सम्पत्ति आवंटन समिति' की बैठक दिनांक 12.07.2013 कार्यवाही विवरण बिन्दु-13 से देवीलाल चतुर्वेदी एज्युकेशन सोसायटी कोटा को महावीर नगर कम्पीटीशन योजना में भूमि आवंटन बाबत। समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निर्णय मण्डल की महावीर नगर कम्पीटीशन योजना, कोटा में उपलब्ध 1488 वर्ग मीटर भूमि संस्था को शैक्षणिक गतिविधि संचालन हेतु वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 25 प्रतिशत उपरी व्यय, विविध खर्च, लीज राशि वसूल करते हुए सर्व सम्पत्ति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्थानीय निकाय (कोटा नगर निगम, कोटा) को 15 प्रतिशत देय राशि पृथक से वसूल की जावे। वर्तमान में भूमि का भू-उपयोग शैक्षणिक कम सानुदायिक प्रयोजनार्थ नियोजित है। अतः उक्त प्रयोजन को परियोजना समिति द्वारा परिवर्तित कर शैक्षणिक उपयोग हेतु नियोजित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार भूमि आवंटन का यह निर्णय परियोजना समिति के निर्णय के अधीन रहेगा।

उपरोक्त स्कूल कम कम्यूनिटी सेन्टर से शैक्षणिक में भू-परिवर्तन का प्रस्ताव सम्पदा प्रबन्धक मुख्यालय द्वारा प्रेषित किया गया। प्रश्नगत भूमि मूल मानचित्र में स्कूल कम कम्यूनिटी सेन्टर हेतु चिन्हित है। जिसके दोनों तरफ पार्क है। पार्क व प्रश्नगत भूमि की बीच की जगह पार्किंग हेतु चिन्हित है। जिसको "A B C D E F" से दर्शाया गया है। प्रस्तावानुसार प्रश्नगत भूमि स्कूल कम कम्यूनिटी सेन्टर से शैक्षणिक में भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव परियोजना समिति के समक्ष अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रकरण परियोजना समिति की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु एजेण्डा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

महावीर नगर कम्पीटशन योजना कोटा में उपलब्ध 1488 वर्ग मीटर भूमि स्कूल कम कम्यूनिटी सेन्टर के लिये आरक्षित थी। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल दोनों उपयोग हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः इसे शिक्षण हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 08

विषय :- भिवाडी के राजस्व ग्राम बन्दापुर एवं समीपवर्ती गाँवों की कुल 71.21 हेक्टेयर भूमि की खातेदारों हेतु प्लानिंग अनुमोदन बाबत।

परियोजना समिति की 139वीं बैठक दिनांक 15.04.2013 में अतिरिक्त एजेण्डा नं.-7 के द्वारा भिवाडी के राजस्व ग्राम बन्दापुर एवं समीपवर्ती गाँवों की कुल 71.21 हेक्टेयर भूमि की खातेदारों हेतु योजना का अनुमोदन हुआ था। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

Land use analysis :-

S.No.	USE	AREA IN HECT.	PERCE.
1	Plot/	14.54	
	Group Housing	15.92 = 30.46	42.77
2	Commercial	5.41	7.60
3	Facility	7.15	10.04
4	Health centre	0.19	1.38
5	Nallah	1.01	1.42
6	Park/ Plantation	6.63	9.31
7	Roads	20.55	28.86
	TOTAL	71.21	100.00

Schedule of plots

1	HIG	10.0 X 20.0 M	=	343
2	MIG-II	8.0 X 16.0 M	=	479
3	MIG-I	6.0 X 16.0 M	=	48
4	LIG	6.0 X 12 M	=	60
5	EWS	4.0 X 9.0 M	=	31
	TOTAL		=	961 Nos.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के अनुसार (पैरा-2) भिवाडी में राजस्व ग्राम बन्दापुर एवं समीपवर्ती ग्रामों की कुल 71.21 हेक्टेयर भूमि का आवासन आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण करने समय परियोजना समिति की बैठक 139 में स्वीकृत की गई योजना में पाया गया कि

[Handwritten signature]

खातेदारों के लिए 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आरक्षित करने के पश्चात् मण्डल के पास अति अल्प विक्रय योग्य क्षेत्रफल रहता है जिसके अनुसार योजना व्यावसायिक रूप से मण्डल के लिए उपादेय नहीं रहती है।

अतः आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि बड़े क्षेत्रफल के खातेदारों को विकसित भूखण्ड के रूप में छोटे-छोटे भूखण्ड की बजाय यथा सम्भव बड़े भूखण्ड दिये जाये। ताकि मण्डल को

अपेक्षित विक्रय योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध हो सके। आवासन आयुक्त महोदय के दिनांक 20.06.2013 को दिये निर्देशानुसार एवं Town ship policy के अनुसार प्रस्ताव निम्नानुसार है :-


Land use analysis :-

S.No.	USE	AREA IN HECT.	PERCE.
1	Group Housing	41.73	58.61
2	Commercial	4.85	6.81
3	Facility	7.12	10.00
4	Nallah	1.01	1.42
5	Park/ Plantation	6.13	8.60
6	Roads	<u>10.13</u>	<u>14.56</u>
	TOTAL	<u>71.21</u>	<u>100.00</u>

प्रकरण परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 09


विषय :- खातेदार श्री श्रवण मीणा को मकान समायोजित करते हुए 882.00 वर्ग मीटर विकसित भूखण्ड का साईट प्लान इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में जारी करने बाबत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के द्वारा पत्रावली के पेरा संख्या 5/एन पर दिये गये अनुमोदन के अनुसार खातेदार श्री श्रवण मीणा पुत्र श्री गंगाराम मीणा को 15 प्रतिशत विकसित भूखण्डों के लिए संशोधित प्लान में श्री श्रवण मीणा के मकान को समायोजित करते हुए नियमित आकार में 21.00 मीटर X 42.00 मीटर (क्षेत्रफल 882.00 वर्ग मीटर) भूमि दी जानी है।

उक्त प्लान परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा उपरोक्त पर विचार करते हुए प्रस्तावित भूखण्ड की नाप 21.00 मीटर X 42.00 मीटर क्षेत्रफल (882.00 वर्ग मीटर) जिसमें से पीछे के खातेदार की भूमि 12.841 वर्ग मीटर कम करते हुए शेष 869.17 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की स्वतंत्र आवासीय भूमि खातेदार को देने का निर्णय लिया गया। यदि प्रार्थी को विकसित आवासीय भूमि नहीं देनी है तो नियमानुसार आरक्षित आवासीय दर से राशि वसूल की जावे।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 10

विषय :- खसरा नम्बर 807 सविना खेडा द्वितीय, उदयपुर की MIG-B (Duplex) 9.0X18.0M. एवं MIG-A (Duplex) 6.0X15.0M. की खातेदार हेतु प्लानिंग करने बाबत्।

सविना खेडा-द्वितीय की मूल योजना परियोजना समिति की बैठक 69 दिनांक 23.04.1993 में अनुमोदित हुई थी।

आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम/उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा आवासन आयुक्त महोदय के क्रमांक 196 दिनांक 23.05.2013 के आदेश के अनुसार खसरा नम्बर 807 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर भूमि सविना खेडा-द्वितीय, उदयपुर में उपलब्ध है एवं रेवेन्यू रिकार्ड में राजस्थान आवासन मण्डल के नाम दर्ज होना बताया गया है। तथा अतिरिक्त सिविल जज नम्बर 3 उदयपुर वाद संख्या 27/11 शीला पंजवानी बनाम् राज्य एवं अन्य विचाराधीन बताया गया है। (पैरा संख्या एन/1) तथा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल की विकसित योजना सविना खेडा-द्वितीय का भाग हैं। परन्तु पूर्व योजना में अंकित नहीं किया गया है। पैरा संख्या एन/1 के अनुसार 80 फीट चौड़ी सड़क बताया गई है। अधिकतर भूमि 60.0 फीट (18.0 मीटर) चौड़ी सड़क दर्शायी गई है। एवं भूमि में से 12.0 मीटर की सड़क अंकित की गयी है। उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के पैरा संख्या एन/9 व 10 के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।


प्रस्तावानुसार ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। ड्राफ्ट की स्वीकृति पैरा संख्या एन/15 व 16, 17 के अनुसार की गई है।

विवरण निम्नानुसार है :-

खसरा नम्बर 807 की सर्वे के अनुसार कुल भूमि = 4995.43 Sqm.

भूमि का भू-उपयोग विवरण :-

1 आवासीय	3160.12 Sqm.	63.27 %
2 व्यावसायिक	289.60 Sqm.	5.80 %
3 सड़क	1774.42 Sqm.	29.51 %
4 भूखण्ड	71.43 Sqm.	1.42 %
	<u>4995.43Sqm.</u>	<u>100.00%</u>




SCHEDULE OF PLOTS :-

S.NO.	TYPE	SIZE	NO.OF PLOTS
1	MIG-II (DUPLEX)	9.0X18.0 M.	08
2	MIG-I (DUPLEX)	6.0x15.0 M.	14
3	LIG	6.0x12.0 M.	<u>05</u>
		Total	<u>27</u>

प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया गया।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या :- 11

विषय :- सेक्टर-8, मानसरोवर, अरावली मार्ग के पास, न्यू सांगानेर रोड़ पर स्थित भूखण्ड पर (Still+15) बहुमंजिले आवासों के स्थान पर उच्च आय वर्ग के 104 बहुमंजिले फ्लैट्स (B+S+13) अनुमोदन बाबत।

परियोजना समिति की बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-मानसरोवर एवं अध्यक्ष ए.वी.एस.एल.सी. द्वारा वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत पूर्व में अनुमोदित बहुमंजिले आवास (Still+15) के स्थान पर उच्च आय वर्ग के (B+S+13) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सेक्टर-8, मानसरोवर, अरावली मार्ग के पास, न्यू सांगानेर रोड़ पर स्थित भूखण्ड 4070.12 वर्ग मीटर पर बहुमंजिले आवासीय फ्लैट्स की योजना परियोजना समिति की बैठक 127वीं दिनांक 02.02.2011 एजेण्डा आईटम नम्बर- 13 जिसमें (Still+15) बहुमंजिले निर्माण हेतु Empanelled वास्तुविदों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की योजना अनुमोदित हुई थी।

निर्णय :-

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित (Still+15) बहुमंजिले आवासों के स्थान पर (B+S+13) के निर्माण की अनुमति दी गई।

अध्यक्ष महोदय के मसौदा प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(जय बीर जाखड़)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
सदस्य-सचिव